1 2/5

आज यह पत्रावली प्रार्थी निर्मल सिंह के द्वारा अधि० वकील प्रा० पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थी/वादी ने प्रा० पत्र इस आशय का पेश किया कि वादी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता है भविष्य में यदि आवश्यकता हुई तो वादी नया वाद प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तथा वाद को withdraw करने का निवेदन किया। अतः वादी के प्रा० पत्र के आधार पर वादी के पुनः वाद पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये वाद वापिस लिये जाने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर होकर नं० से कम हो।

Nirmal Singh

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.01 14:32:32 IST
Reason: SelfAttested